II-155 C.J.(E)

7of 2015

THE COURT Claim

Date of order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

22/04/2017

आरोपी / आवेदक किशना उर्फ किशनसिंह फौजी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित ।

अनावेदक शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक उपस्थित ।

इस मामले से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण क0–42 / 2015 डकैती का मूल अभिलेख प्राप्त है।

जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के भाई अजय सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। जमानत जब्त होने के बाद प्रथम जमानत होना बताया है।

जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये आरोपी/आवेदक किशना उर्फ किशनसिंह फौजी की

ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूंठा फंसाया गया है। वह मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था। इसलिये अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका था। उसे दि0.—22/09/2016 को फरार घोषित कर दिया है। अन्य प्रकरण में आवेदक उपस्थित हुआ और उपजेल भिण्ड में न्यायिक निरोध में है। इस प्रकरण में वह दि0—13/02/2017 से जेल में है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का विरोध करे हुए निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा विशेष सत्र प्रकरण का अध्ययन व अवलोकन करने से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एम0सी0आर0सी0 नंबर—2052 / 2016 किशनसिंह बनाम म0प्र0 राज्य में पारित आदेश दि0—08 / 03 / 2016 के द्वारा आरोपी / आवेदक किशना उर्फ किशनसिंह फौजी की जमानत का आदेश किया गया थ और उसपर प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष सदैव उपस्थित रहने की शर्त लगायी गयी थी। दि0—09 / 08 / 2016 को अभियुक्त अनुपस्थित हो गया था

और उसका कोई हाजिरी माफी आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त दि० को उसके जमानत मुचलके जब्त किए गये थे। तत्पश्चात लगातार उसके गिरफतारी वारण्ट जारी किए गये। उसे दि0-22/09/2016 को फरार ध गोषित किया गया थ और उसका स्थाई गिरफतारी वारण्ट जारी किया गया। आरोपी/आवेदक किशना किशनसिंह फौजी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है। अपित् अन्य प्रकरण में निरोध में होने पर प्रोडक्शन वारण्ट से तलब किया गया है। मामले संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यदि उसे जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके निकट भविष्य में अनुपस्थित होने की संभावना है। उसने माननीय उच्च न्यायालय की उपस्थिति की शर्त का उल्लंघन किया

॔॔॔अतः ऐसी स्थिति में आरोपी/आवेदक किशना उर्फ किशनसिंह फौजी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी/आवेदक किशना उर्फ किशनसिंह फौजी का जमानत आवेदनपत्र बाद विचार निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि विशेष सत्र प्रकरण THE RIVERS OF THE PARTY OF THE क0-42 / 2015 में संलग्न की जावे।